

275

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक १० सितम्बर, १९९६ (भा. १९, १९१८)

समय १०.३० बजे दिन.

१. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जावेंगे तथा उनके उत्तर दिये जावेंगे.

२. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण.

- (१) **सर्वश्री रामनिवास खत, रमाशंकर भारद्वाज, रामविचार नेताम, सदस्य, मुरेना एवं भिण्ड जिले के ग्रामों में बाढ़ से जनजीवन के प्रभावित होने एवं फसलों की क्षति की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.**
- (२) **श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य, बस्तर जिले के चरमा विकास खंड अन्तर्गत बीड़ी मजदूरों को भविष्यनिधि की पासबुक न दिये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.**
- (३) **श्री राजकुमार पटेल, सदस्य, सीहोर तथा जावरा शुगर मिलों द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.**
- (४) **श्री रामविचार नेताम, सदस्य, सरगुजा जिले में तेंदूपत्ता शाख कतरन हेतु स्वीकृत राशि का दुरुपयोग होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.**

३. याचिकाओं की प्रस्तुति.

- (१) **श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले की नगर पंचायत गढ़ी मलहरा में पेयजल योजना की स्वीकृति दिलाये जाने,**
- (२) **श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के-**
 - (क) ग्राम कुटेश्वर में विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने,
 - (ख) ग्राम पहाड़ी के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासनाधीन लिये जाने,
 - (ग) ग्राम घुघरा के विद्यार्थियों के लिये पेयजल, छात्रावास एवं खेल मैदान आदि सुविधाएं दिलाये जाने,
 - (घ) ग्राम झरेला में आदिवासी बालक आश्रम खोले जाने,
 - (ङ) ग्राम बिलहरी के लक्ष्मण सागर जलाशय की सफाई कराने एवं आस-पास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराने जाने, तथा
 - (च) शाजापुर जिले के ग्राम उंडई में विद्युत सब स्टेशन लगाये जाने,

- (३) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, राजधानी भोपाल के भदभदा पुल के पास एक और पुल बनाये जाने,
- (४) श्री रामकुमार पटेल, सदस्य, जबलपुर जिले के-
- (क) ग्राम बचैया स्थित ए.एल. राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासनाधीन लिये जाने, तथा
- (ख) कटंगी नगर में ३० बिस्तरे वाला चिकित्सालय खोले जाने,
- (५) श्री कमल पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम मोरगढ़ी में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने, एवं
- (६) श्री अमीन साय, सदस्य, सरगुजा जिले के ग्राम कमारी में हाई स्कूल खोले जाने, के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगी.

निर्धारित समय

४ शासकीय विधि विषयक कार्य.

१ घन्टा

- (१) श्री रत्नेश सालोमन, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक १९ सन् १९९६) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

१ घन्टा

- (२) श्री रविन्द्र चौधरी, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक २० सन् १९९६) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

४५ मिनट

५. नियम १४२-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा.

प्रदेश की अधूरी सिंचाई/लम्बित सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, उदय मुदलियार, बच्चन नायक, छत्रपति सिंह एवं रामलखन सिंह (त्यौथर), सदस्यगण चर्चा उठावेंगे.

६. नियम ५२ के अधीन आधे घंटे की चर्चा.

- (१) दिनांक १९ मार्च, १९९६ को श्रम मंत्री से पूछे गये अतासंकित प्रश्न संख्या ५० (क्रमांक ६६२१) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य चर्चा उठावेंगे.

- (२) दिनांक २० अगस्त, १९९६ को मछली पालन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११ (क्रमांक ६०२) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री मोती कश्यप, सदस्य चर्चा उठावेंगे.

भोपाल.

दिनांक १ सितम्बर, १९९६.

अशोक चतुर्वेदी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.